न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्याः—212/18

1. लल्लूलाल पुत्र भौरिया, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम दामोदर का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगदीश नारायण, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम दामोदर का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः—09.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.5.2016 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर निवेन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 55, 121, 122, 123/1510, 124/1509, कुल किता 5 कुल रकबा 2.21 हैक्टयर वाके ग्राम दामोदर का बास, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है, प्रार्थी ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को पेश किया गया तथा मौके पर पटवारी हल्का व गिरदावर मौके पर सीमाज्ञान किया तो मौके पर खसरा नम्बर 122 के पूर्वी सीमा पर लगभग 0.05 हैक्टयर भूमि पर तारबन्दी कर पडौसी खातेदारों ने कब्जा कर रखा है जिससे उस समय फसल होने की वजह से सीमा कायम नही हो सकी जिस कारण प्रार्थी सीमाज्ञान से संतुष्ट नही हुआ, प्रार्थी के पडौसी खातेदार प्रार्थी के साथ गाली—गलोच करने व विवाद पर आमादा रहते है व सीमाज्ञान चिन्हो को मिटा दिया है इसलिये पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाना चाहता है मौके पर खून खराबा नही हो इसलिये पुलिस सुरक्षा में पत्थरगढी कराया जावे तथा अप्रार्थी को शान्तिपूर्वक पत्थरगढी हेतु नोटिस जारी किया जावे तथा पुलिस सुरक्षा में पत्थरगढी के आदेश प्रदान करें, अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.05.2018 को प्रकरण दर्ज किया तथा बिना अपीलान्ट को सुने व बिना पक्षकार बनाये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 न्याय नियम एवं प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने क कारण प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। उन्होने आगे कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबुझकर अपीलान्ट को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया तथा राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है जबकि रेस्पोडेन्ट अभिवचनों से साफ जाहिर है पडौसी काश्तकार द्वारा तारबन्दी कर रखी है तथा फसल बो रखी है, रेस्पोडेन्ट के अभिवचनों से ही साबित है कि अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना चाहिये परन्तु रेस्पोडेन्ट ने जानबुझकर पक्षकार नही बनाया तथा राजस्थान सरकार विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत कर दिया, राजसथान सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व 80(2)सी.पी.सी. को नोटिस दिया जाना आवश्यक था परन्तु रेस्पोडेन्ट ने विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर अधीनस्थ न्यायालय से मिलीभगत करके अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है, जो खारिज होने योग्य है, उन्होने आगे कथन किया है कि अभिवचनों में स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी पडौसी काश्तकार को पत्थरगढी के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण का अवलोकन कर मात्र सरसरी तौर पर आज्ञा पारित कर दी है, जो स्वतः ही खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिवचनों से जाहिर है कि अपीलान्ट संख्या 1 ने 0.05 हैक्टयर भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा फसल बो रखी है तथा उसके आगे वर्णित किया है कि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा फसल की वजह से सीमाज्ञान नही हो सका तथा प्रार्थी सीमाज्ञान से संतुष्ट नही है जबकि भूमि का सीमाज्ञान ही नही हो सका तो रेस्पोडेन्ट ने किस आधार पर वर्णित किया कि अपीलान्ट का 0.05 हैक्टयर भूमि पर कब्जा कर तारबन्दी कर रखी है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिवचन सत्य भी मान लिये जावें तो रेस्पोडेन्ट को धारा 183 के तहत प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिये न की धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धारा 128 रा.ले.एक्ट के तहत पत्थरगढी करा कर अवैधानिक रूप से कब्जा प्रस्तुत करना चहता है जिसके कानूनी अधिकार उन्हे हांसिल नही है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने एक दावा उनवानी लल्लूलाल बनाम ओमप्रकाश अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अपीलान्ट ने स्थगन ले रखा है जिसकी बखूबी जानकारी रेस्पोडेन्ट को है तथा उसमें रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता भी हाजिर हो रहे है तथा स्थगन आदेश की जानकारी है लेकिन उपरोक्त तथ्यों को छुपाकर रेस्पोडेन्ट ने आपीलधीन आज्ञा प्राप्त की है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, ग्राम दामोदर का बास, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 55, 121, 122, 123/1510, 124/1509 कुल किता 5 कुल रकबा 2.21 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार है जिसकी पत्थरगढी कराने के वे कानूनन अधिकारी है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही विधि की मंशा के अनुरूप ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी की पत्थरगढी रेस्पोडेन्ट एवं पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा फसल के कटने के बाद पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये है जिससे अपीलान्ट या अन्य किसी भी खातेदार को किसी प्रकार का नुकसान नही होगा इस अधीनस्थ न्यायालय क अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13.06.18 अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 122 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 149 की पश्चिमी सीमा एक ही है तथा खसरा नम्बर 122 के कुछ हिस्से पर पडौसी खसरा नम्बर 149 के खातेदार द्वारा तारबन्दी कर रखी है जिस पर गत वर्ष से ही दोनों के मध्य विवाद चल रहा है तथा तथा खसरा नम्बर 149 के खातेदारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारबन्दी से छेड़छाड़ नही करने बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ हैं, उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में स्थगन के दौरान अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को निरस्त किया जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर